नियमित भाडा आवास करार अनुबंध बारेमा बर्णन(भूमि लिज कानून धारा 38 उपधारा 2 सम्बन्ध)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| साल　महिना　तारिकनियमित भाडा आवास करार अनुबंध बारेमा बर्णन 　 　　　　　　　भाडामा दिने ब्यक्ति(पहिलो पक्ष)ठेगाना 　　　　　　　　　　　नाम　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　प्रतिनिधि ब्यक्ति ठेगाना 　　　　　　　　 नाम　　　　　　　　　　तल आवास भवनको बारेमा नियमित भवन आवास लिज करार अनुबंध समाप्तिको अवस्थामा भूमि लिज कानून धारा 38 उपधारा 2 मा आधारित भएर यस प्रकार वर्णन गरिन्छ ।तल आवास भवनको लिज करार अनुबंधमा नबिकरण नभर्इ अवधिको समाप्ति अनुसार भाडा लिजको अवधि पनि समाप्ति हुने भएकोले अवधि समाप्तिको दिनको अर्को दिन नँया लिज करारअनुबंध(पुनः करार अनुबंध)गर्ने निर्णयलार्इ मतलब नगरेमा अवधि समाप्तिको दिन सम्म तल बसोबास भवन करार खारेज नगरी हुदैन ।रेकर्ड

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) आवास भवन | नाम  |  |
| आवासको स्थान |  |
| घर नम्बर |  |
| 2) करार अनुबंध अवधि | शुरू　मिति　　　　साल　　महिना तारिकबाटसमाप्ति मिति 　　साल　　महिना　तारिक सम्म | बर्ष　　महिना |

 |
|  |
| माथि उल्लेखित बसोबास आवासको सन्दर्भमा, भूमि लिज कानून धारा 38 उपधारा 2 मा आधारित बर्णन स्पष्टि भयो ।साल 　महिना 　तारिकभाडामा लिने ब्यक्ति(दोस्रो पक्ष)ठेगानानाम  |